नई दिल्ली, 3 मई, 2018

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक वेधक सह मेकैनिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2009 को उन बातों के मिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रांत से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में सहायक वेधक-सह-मेकैनिक (अतिकुशल श्रेणी-I) और सहायक वेधक-सह-मेकैनिक (अतिकुशल श्रेणी-II), समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड,सहायक वेधक-सह-मेकेनिक (अतिकुशल श्रेणी-I) और सहायक वेधक-सह-मेकैनिक (अतिकुशल श्रेणी-II), समूह 'ग', अर्ती नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ में (5) से (13) विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरहता वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्त .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक वेधक-सह-मेकैनिक (अतिकुशल श्रेणी-I)	159* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200)

चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7) लागु नहीं होता
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहा हाता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10) प्रोन्नति द्वारा
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	श्राक्षात द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा (11)

प्रोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500 रु.) में ऐसे सहायक वेधक-सह-मेकेनिक (अतिकुशल ग्रेड-2) की श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो।

प्रशिक्षण:

राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंघान संस्थान, रायपुर या कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान पर जल कूप सिन्नर्माण तकनीकी और उपस्कर स्तर 1 पर चार सप्ताह का प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:		लागू नहीं होता।
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-अध्यक्ष	
2. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	-सदस्य	

(1)	(2)	(3)
2. सहायक वेधक-सह-मेकैनिक (अतिकुशल श्रेणी-II)	159* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500)	चयन	18 से 27 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/ अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। टिप्पण 2 : उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी है आयु-सीमा अवाधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन
- (ii) वेल्डिंग/डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/ फिटर में मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र रखता हो।
- (iii) किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार संगठन या उपक्रम या स्थानीय निकाय या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जल कूप वेधन मशीन में दो वर्ष का अनुभव हो ।

दांछनीय :

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल या आटोमोबाइल या वेधन या खान या पैट्रोलियम इंजीनियरी में डिप्लोमा।

अर्हताएँ, उन कारणों के लिए जो अभिलिखित किए जाए, केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। अनुसूचित जितयों और अनुसूचित जनजितयों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

		(10)
(8)	(9)	2 2 - 2 - 2 - 2
	(9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	प्रोन्नति द्वारा जिसक न हा सकन पर
नहीं	साध मता विष्टु जान वार्य गाउँ	सीधी भर्ती द्वारा
Ţ	दो वर्ष	West Turk

(11)

प्रोन्नति :

- (i) 95 प्रतिशत पद ऐसे तकनीकी प्रचालकों (वेधन) वेतन मैट्रिक्स स्तर 2 (19,900 रु.) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, जो जल कूप वेधन मशीन के रख रखाव में पाँच वर्ष का अनुभव रखता हो ।
- (ii) पाँच प्रतिशत पद ऐसे लुहार जो स्तर -2 (19,900 रु.) में उस श्रेणी में 8 वर्ष की सेवा की हो जो निवारण सामाग्री के आवधिक रखरखाव, सहबद्ध उपस्कर, संधान, वायू संपीडक का प्रचालक, जलकूप पंप और यान में ज्ञान के आकलन, वेधन प्रचालन के संचालन में व्यवसाय परीक्षण की अर्हता के अधीन वेधन सामाग्री के प्राचलन और रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव रखते हो जिसके नहीं हो सकने पर ऐसे तकनीकी ऑपरेटर (वेधन) में से भरी जाएगी। जल कूप वेधन मशीन में रखरखाँव के पाँच वर्ष के अनुभव के साथ जिन्होने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ।

राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान पर जल कूप सन्निर्माण तकनीकी और उपस्कर स्तर 1 पर चार सप्ताह का प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण।

		(13)
(12)		लागू नहीं होता ।
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमे निम्नलिखित होंगे:		X .6. 6
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	200	
	अध्यक्ष	
2. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:		
1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	अध्यक्ष	
2. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य	

.[फा. सं. 230/3/2014-सीजीडबल्यूबी]

ए. के. वाही, अवर सचिव

New Delhi the 3rd May, 2018

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Assistant Driller-com-Mechanic, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-II) Group 'C' posts in Mechanic (Highly Skilled Grade-I) and Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-II) and Assistant Driller-cum-Mechanic

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-II) Group 'C' posts Recruitment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix.—The number of the said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

	Name of post	Number of post	Classification	LEVEL in the PAY MATRIX.	Whether selection post or non- selection post
١	(1) 1. Assistant Driller- com-Mechanic (Highly Skilled Grade-I).	(2) 159* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	(3) General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	(4) Level-5 (Rs. 29200) in the pay matrix	(5) Selection

Age-limit for direct recruits	other	age and educational qualification	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
		(8)	(9)	(10)
(6) Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

Not applicable		Circumstances in
In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grade from which promotion / deputation / absorption is to be made (11) Promotion: On completion of five years regular service in the grade of Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-II) in Level-4 (Rs.25,500) in the pay matrix.	(12) Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of: 1. Director (Administration), CGWB — Chairman 2. Superintending Engineer, CGWB — Member 3. Administrative Officer, CGWB — Member	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment (13) Not applicable.
Training:		Ì
Four weeks' Induction Level Training on Water Well construction techniques and equipment Level-I at National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other national level institute.		

cum-Mechanic (Highly Skilled Control ID 2. Assistant Dinier *Subject to variation dependent on workload.		(4) Level-4 (Rs.25,500) in the pay matrix.	(5) Selection
---	--	--	------------------

(6)	(7)
Unto 27 years (Relaxable for Government servants upto 40	Essential:
years in accordance with the instructions or order issued by the	(i) Matriculation from recognised Board.
Central Government).	(ii) Having an Industrial Training Institute Certificate
Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be	from a recognised Institute in Welding, Diesel
the closing date for receipt of applications from candidates in	Mechanic / Motor Mechanic / Fitter;
India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland,	(iii) Having two years experience in water well drilling
Meghalaya, Arunachai Fradesh, Mizoram, Managari	

Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: The crucial date for determining the age limit, in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

machines in any State Government or Central Government

Organizations or Undertaking or any local body or any Private Limited Company.

Desirable:

Diploma in Mechanical or Automobile or Drilling or Mining or Petroleum Engineering from a recognised Institute.

Note: The qualification(s) regarding experience is/are relexable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(8)	(9)	(10)
No.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct
		recruitment.

[F. No. 23/03/2014-CGWB]

A. K. WAHI, Under Secy.